महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- 2005
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भारत सरकार

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक |73| / MGNREGA / स्था. / जिपं / 2013–14 राजनांदगांव दिनांक 01 / 03 / 2014

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक / 778 / पंग्राविवि / रायपुर दिनांक 02 / 04 / 2011 एवं पत्र क्रमांक 807 / पंग्राविवि / 22 / 2011 रायपुर दिनांक 06 / 04 / 2011 एवं पत्र क्रं. 619 / पंग्राविवि / 22 / 2014 रायपुर दिनांक 01 / 03 / 2014 के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भृत्य के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत, राजनांदगांव में निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय रोजगार गारंटी योजना की आकस्मिक मद से किया जावेगा:–

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग
1	2	3	4	5
1	श्री जयप्रकाश	श्री मोतीलाल	ग्राम टिकरी, पों अर्जन्दा, तह गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) 491225	अना.(मुक्त)
2	कु. लिलेश्वरी दुग्गा	श्री शंभुलाल दुग्गा	पों भरीटोला था.खड़गावं तह. मानपुर जिला राजनांदगांव	अ.ज.जा.(मुक्त)
3	श्री ओमप्रकाश	श्री मोतीलाल	ग्राम टिकरी, पों अर्जन्दा, तह गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) 491225	अ.जा.(मुक्त)
4	श्री गिरधारी लाल सोनी	श्री दिलहरणलाल सोनी	मु एवं पों करगीकला, व्याहा कोटा, जिला बिलासपुर, (छ.ग.) 495113	अ.पि.व.(मुक्त)

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर 7300/– रूपये एकजाई पारिश्रमिक की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति 28.02.2015 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि के दौरान पूरे केलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
9. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यॉकन हो सके।

10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ-9-1/2012/1-3, दिनांक 31/12/2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
11. आवेदन हेतु प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन में यदि कदाचरण अथवा अन्य कारणों से पद से पृथक करने की कार्यवाही संबंधित कार्यालय से किया जाना पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।
12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र बोर्ड/वि.वि. अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में सत्यापन कराने के उपरांत यदि आवेक द्वारा प्रस्तुत अंक सूची/प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था का नही पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल निरस्त कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
13. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 12/03/2014 तक अपनी उपस्थिति जिला पंचायत राजनांदगांव में देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

कलेक्टर,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. कमांक 1732 /MGNREGA/ स्था./जिपं/2013-14 राजनांदगांव दिनांक 01/03/2014

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री/श्रीमती/कु.. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंकसूचियों तथा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन के साथ जिला पंचायत, राजनांदगांव में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)